

गुजरात प्रदेश शासन, वन विभाग

गंतव्यालय

तल्लापा भवन, गोपालगंगा-462004

—0—

अधिरूचना॥

भोपाल, दिनांक 28 मई, 2001

क्रमांक ८७, ५/१०-३/२००१ गठ प्र० अधियहन (वनोपाल) नियम 2000 की धारा-५ में प्रदत्त उत्तरों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा नियम लिखित वनोपाल के लिये परिवहन आनुज्ञा पत्र जारी करने के लिये गोपालगंगा शुल्क नियारित करता है :-

क्रमांक	वनोपाल वग नाम	देय शुल्क
1.	लाइम रटोन, डोलोमाइट, फागर गले, मैगनीज, कॉपर, रोक फास्टेट पागरेपिलाइट, डायारपोर, ओकर, बाहराइट, आगरन, केलसाइट, कोगला, कर्नेट्ज, सिलिनग सेंड, शेल, रेल, रोप रटोन	7 रु० प्रति टन
2.	ब्ल्यू रटोन, ग्रेनाइट मार्फिल एवं मिट्टी पत्थर	4 रु० प्रति घन मीटर

गुजरात के राज्यपाल के नाम से
ता॥ आदेशानुसार


(रतन पुरवार)

अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग